

आदेश - पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1943 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता० ..... से .....  
 जिला - बोकारो केस सं० ..... 119/2015-16  
 केस का प्रकार :- नामांतरण

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदा० का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

04/06/15

श्री... संतोष रजक .....  
 पिता/पति श्री स्व० लोबी रजक .....  
 साकिम दहिमारी ..... थाना नावाडीह .....  
 जिला-बोकारो ने निम्नांकित भूमि का दा० खा० हेतु आवेदन पत्र दिया है जो श्री लाडुन ठाकुर .....  
 पिता स्व० देवन्दु नाथ ठाकुर .....  
 सा० दहिमारी .....  
 जिला-बोकारो के केवाला संख्या 281 .....  
 दिनांक 7/4/05 ..... द्वारा मो० 75,000/- .....  
 रुपये में क्रय किया है।

जमीन का विवरण :-

ग्राम	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	माल
<u>दहिमारी</u>	<u>143</u>	<u>1658</u>	<u>0.06<sup>2</sup>/<sub>5</sub></u>	<u>0.25 पैसा</u>

98

मूल आवेदन ह० कर्म० की जाँच हेतु दे। उन्हें आदेश दिया जाता है कि जाँच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर अंचल निरीक्षक के माध्यम से दे। साथ ही आम ईस्तेहार निर्गत कर आपत्ति आमंत्रण करें। अभिलेख दिनांक 20/06/15 की उपस्थित करें।

20/6/15  
 अंचल अधिकारी  
नावाडीह

आम ईस्तेहार पत्र  
 143



आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदा० का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

26/06/15

अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त 26/6/15 निर्धारित तिथि तक किसी ने आपत्ति पत्र नहीं दिया है ह० कर्म/अ० नि० का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका आवलोकन किया तथा पाया कि वर्णित भूमि का पंजी 2 के पृष्ठ सं०..... 161..... भोलूम सं०..... I में बिक्रेता के पिता व सं०

नाम से रसीद निर्गत होती है। बिक्रेता ने अपने हिस्से की जमीन बिक्री किया है, जो क्रेता के दखल कब्जा में है। हल्का कर्मचारी/अ० नि० ने दा० खारिज करने का अनुशंसा किया है।

अतः ह० कर्म/अ० नि० के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित वर्णित भूमि का दाखिल खारिज क्रेता के नाम से किया जाता है।

ग्राम खाता नं० प्लॉट नं० रकबा माल

दस्तावेज 98 143 1658 - 0.06  $\frac{1}{2}$  1.00 रु 30 रु

तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें।

लेखापति

अंचल अधिकारी

बाबाडीए

अंचल अधिकारी

बाबाडीए

पुनश्च: शुद्धि पत्र हस्ताक्षर किया गया। दो प्रति हल्का कर्मचारी अनुपालन हेतु दें।

अंचल अधिकारी

बाबाडीए

*[Handwritten signature]*



# नामान्तरण (दाखिल-खारिज) के आवेदन पत्र

हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन

नामान्तरण (दाखिल-खारिज) केस नं० 119/2015-16

गाँव - दक्षिणारी

थाना - नावाडीह

थाना नं० - 98

जिला - बोकारो

1) लेख्य का प्रकार :- 1) बिक्री  2) दान  3) बँटवारा  4) उत्तराधिकारी

2) पूर्णतः या अंशतः

बिक्री द्वारा अंतरित क्षेत्र का रकवा 0.06 2/3 एकड़ ।

केवाला संख्या 281

दिनांक 7/4/2015

मूल्य 75,000/-

नामान्तरण (दाखिल - खारिज) के पहले मूल होलिंग

खाता नं०	जमाबंदी रैयत का नाम	प्लॉट नं०	रकवा	लगान	161/I अभ्युक्ति
143	पंचानन नाथक की देवदू बगीचा पिता प्रभात नाथक <u>हजारों पड़वा</u>	165/8 वर्ग	<del>21.31</del> : <u>21.20</u>	15.62	सहशाय प्रतिवेदन मुक्ति से खारिज में रैयती अंकित क्षेत्र विक्रेता को बंधानुसार प्राप्त है। सरकारी रसीद पंजीय के पुस्त सं० 161/ में विक्रेता के दादा के नाम से निर्गत होगी है। विक्रेता ने चारों द्वारा से प्राप्त हक हिस्से की मुक्ति बिक्री की है। विक्रेता दखलदार है।
143	<u>do</u>	165/8 वर्ग	<del>21.31</del> : <u>21.20</u>	15.37	सह-अधिकार सेवा, प्रधान, ब्रह्मचारी उपस्थान, आग को आदिवासी खाते के कार है। विक्रेता C.N.T में प्राप्त है। नती आते है। अन्य दाखिल खारिज स्वीकृत किया जा सकता है।
143	श्री संतोष रजक पिता स्व० लोदी रजक सा - दक्षिणारी	165/8	0.06 2/3	0.25 पैसा प्र. मं० 1-00 रूप प्र. से०	सह-अधिकार सेवा, प्रधान, ब्रह्मचारी उपस्थान, आग को आदिवासी खाते के कार है। विक्रेता C.N.T में प्राप्त है। नती आते है। अन्य दाखिल खारिज स्वीकृत किया जा सकता है।

अप. सु. नवाडीह  
उपस्थान के मुक्ति से  
जमाने का सही पाया  
है। सब स्वीकृत किया जा  
सकता है।

4.0.15  
A.A

हल्का कर्मचारी का हस्ताक्षर  
हल्का नं० III